157

न्यायालय–श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय

ग्वालियर, मध्यप्रदेश

माया देवी पति श्री अर्जुन दास निवासी रामपुर ग्राम

पचायत मलहदू तहसील पाली थाना पाली

जिला उमरिया म0प्र0 .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/6332

1. म0प्र0 शासर जरिये कलेक्टर उमरिया म0प्र0
2. सत्यभामा बाई पति श्री दयाराम खटिक
3. सुधीर कुमार पिता श्री दयाराम खटिक
4. राजेश कुमार पिता श्री दयाराम खटिक
5. संजीव कुमार पिता श्री दयाराम खटिक

सभी निवासी ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत मलहदू

तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0................गैरपुनरीक्षणकर्तागण

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
10/11/17
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

निगरानी विरूद्व आलोच्य आदेश दिनांक 11/9/17 प्रकरण कमांक 08/ स्वपुनरीक्षण 2015–16 न्यायालय कलेक्टर उमरिया म0प्र0

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण निम्नलिखित निवेदन करते है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 11/6/80 को बद्री प्रसाद से खसरा नं0 90 जुज रकवा 1.00 एकड भूमि कय की थी । दिनांक 15/1/83 को माया देवी द्वारा खसरा नं0 90/2 का जुज रकवा सत्यभामा वगैरह को भूमि विकय की थी। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा उक्त भूमि कय करने के पूर्व भूमि के स्वत्व संबंधी जांच में किसी प्रकार का दोष नही पाया था तथा विधिवत नामांतरण पश्चात उक्त

माया देवी
10/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/उमरिया/भूरा/2017/6332

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.3.18	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता श्री विष्णुकांत तिवारी को तीन बार आवाज लगाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष को सूचना दी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	